R.D-15-12-18

कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा (औरैया)

पत्र संख्या— 134/न0पं0अछल्दा—आर्की0/टा0प्ला0चयन/2018 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2018

—: आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर चयन हेतु प्रस्ताव/आवेदन पत्र आमन्त्रण सूचना—:

शासनादेश संख्या— 2906/नौ—8—2018—53ज/2017, दिनांकः 23.09.2018 के द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में नगर पंचायत अछल्दा, जनपद औरैया का चयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत निकाय की योजनान्तर्गत कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने हेतु एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के चयन हेतु इस कार्यालय द्वारा समाचार पत्र " जनसन्देश" एवं राष्ट्रीय सहारा के अंक दिनांकः 10 अक्टूवर, 2018 में सूचना प्रकाशित कराते हुये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे प्रकाशित सूचना के अनुसार इस कार्यालय को निर्धारित दिनांक को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुया जिसे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एकमात्र आवेदन पत्र होने के कारण चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई बिचार नही किया गया तथा पुनः आवेदन पत्र अमन्त्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या— 777/नौ—8—2018—53ज/2017 टीसी, नगर विकास अनुभाग—8, दिनांकः 21.03.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत योजनान्तर्गत चयनित निकाय की न्यूनतम् आवश्यकता एवं अधिकतम् जनपयोगी अवस्थापना सुबिधाओं को सुव्यवस्थिति रूप से विकसित किये जाने एवं उनके समेकित विकास हेतु आवश्यकतानुसार एवं समन्वित कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने हेतु एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर जिसे सरकारी तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये कम से कम 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो उसकी सेवायें ली जा सकेगी। आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी महोदय, औरैया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जावेगा। केवल उन्ही आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के प्रस्ताव/आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा जो निम्न योग्यतायें पूर्ण करते हों।

1. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पास विधिक अर्हता तथा Council of Architecture में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। 2. बहुआयामी परियोजनाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्य करने का 05 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। 3. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को पैन धारक होना अनिवार्य है। 4. मुख्य आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को निकाय के बुलावे पर स्वंय उपस्थित होना अनिवार्य है। 5. चयनित निकाय में कार्यालय का अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा। 6. चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार करने, परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रचण के उपरान्त परियोजना मूल्य का अधिकतम् 02% की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। 7. आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को उक्त योजना में किये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार देय धनराशि से आयकर व जी.एस.टी. की कटौती करके किया जायेगा।

अतएव नगर पंचायत अछल्दा, जनपद औरैया में उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा, जनपद औरैया में दिनांकः 24.12.2018 को सांय 05.00 बजे तक अपना प्रस्ताव/आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा, साथ ही साथ बन्द लिफाफे के ऊपर आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर बड़ें अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव/अवेदन पत्रों पर कोई बिचार नही किया जायेगा। चयन सम्बन्धी सूचना प्रथक से ई—मेल/डाक के माध्यम से दी जावेगी। उपरोक्त सूचना जनपद औरैया की बेवसाइट **www.auraiya.up.nic.in** पर भी प्राप्त की जा सकती है।

(महेन्द्र पाल सिंह)
प्रभारी अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

(राजेश कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

पत्र संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि— 1. विज्ञापन व्यवस्थापक समाचार पत्र जनसन्देश, व राष्ट्रीय सहारा को सूचना आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु।
2. जिला सूचना—विज्ञान अधिकारी, औरैया की सेवा में जनपद की बेवसाइट पर सूचना प्रकाशन हेतु।
3. कार्यालय सूचना पट हेतु।
4. जिलाधिकारी महोदय, औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

(महेन्द्र पाल सिंह)
प्रभारी अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

राजेश कुमार
(राजेश कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया